ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री रत्न सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री किशोरी लाल	01.04.15 से 10.05.17
2	श्री कुलदीप सिंह	10.05.17 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागाँव के लेखाओं अवधि 01.04.1 5 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में भारी अन्तर पाया जाना	0.86
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.15
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	8.29
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.35
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	5.40
7	9	सोलर लाइटों की खरीद में अधिक भुगतान	0.51
8	11	बजट प्रावधान के बिना सभा निधि से अनियमित भुगतान	0.13

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत चम्बी , विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.04.18 से 02.05.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	02/2016	11/2015
2016-17	07/2016	08/2016
2017-18	03/2018	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123 दिनांक 02.05.18 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 648134 (KCCB) दिनांक 15.05.18 ₹7000 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत चम्बी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:-

(1) स्व स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	525102	24780	549882	26126	523756
2016-17	523756	22562	546318	35630	510688
2017-18	510688	47166	557854	27281	530573

(2) अनुदान :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	126094	1630404	1756498	1065866	690632
2016-17	690632	1452028	2142660	1178031	964629
2017-18	964629	2064617	3029246	2200527	828719

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹530573

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹828719

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.18 को कुल अन्तिम शेष : ₹1359292

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1444927.93

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : ₹735

अन्तर : ₹86371

बैंक खाता संख्या	**राशि (₹)**
GEN-A, KCCB- 20086010259	447020.78
AAY, KCCB-20086010248	904.00
14[1H] FC, KCCB-50056664238	915973.15
VKVNY, KCCB-50056664205	16277.00
NBA, KCCB-50056664249	40269.00
MP LAD, KCCB-50057639710	24484.00
MNREGA, KCCB -20086010135 (Closed)	0
कुल राशि	**1444927.93**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.86 लाख का अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹86371 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123

दिनांक 02.05.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 14.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर ₹86371 बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ बहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 बैंक में जमा ₹0.26 लाख की रोकड़ बही का रख-रखाव न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत द्वारा KCCB में खाता संख्या 20019031950 खोला गया था जोकि दिनांक 28.02.2017 के पश्चात update नहीं करवाया गया था एवं उक्त खाते में दिनांक 28.02.17 को ₹25937 जमा थे एवं इस खाते का रख-रखाब रोकड़ बही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था । अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें ताकि इस राशि का दुरुपयोग न हो सके।

5 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर फीस एवं विवाह पंजीकरण फीस के रूप में दिनांक 31.3.18 को निम्नविवरणानुसार ₹15370 की राशि वसूली हेतु **शेष थी, जिसकी** वसूली करना सुनिश्चित करें ।

1. गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**गृहकर की मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2015-16	0	12000	12000	11780	220
2016-17	220	12000	12220	-	12220
2017-18	12220	21250	33470	18500	14970

2. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 से 2017-18 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

3. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹400 की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक , पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 एवं 12/2016 में निम्न विवरणानुसार ₹400 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे , जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें । विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	**नाम**	**विवाह की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**वसूली योग्य पंजीकरण राशि**
6 (2016)	श्री बलबिंदर शर्मा	11.11.2016	05.12.2016	200/-
7 (2016)	श्री रमेश कुमार	08.12.2016	31.12.2016	200/-
		कुल राशि		**400/-**

6 अनुदान ₹8.29 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹828719 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.35 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) , 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹335321 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 **₹5.40 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹540321 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए ।

9 **सोलर लाईटों की खरीद में ₹0.51 लाख का अधिक भुगतानः–**

14वें वित्त आयोग के चयनित माह के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा मैसर्ज राज इलैक्ट्रिकल से 10 सोलर लाइटों का क्रय न्यूनतम निविदा के आधार पर ₹20500 प्रति सोलर लाइट पर किया गया था , जबकि पत्र संख्या HIMURJA/KGR/DMA/SPV-VIII/2016/557 दिनांक 16.02.17

द्वारा सोलर लाइट की दर ₹15356 प्रति सोलर लाइट निर्धारित की गई थी । अतः चयनित माहों में ₹5144 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल ₹51440 का अधिक भुगतान करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है एवं सोलर लाइट के क्रय हेतु हिम ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अधिक दरों पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि ₹51440 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	**वाउचर संख्या**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	88 दिनांक 05.02.18	Bill No. 113 Dated 05.02.18, M/s Mandav Akshay Urja Shop	सोलर लाइट 10X 20500	205000.00

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है ।इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार बही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए एवं व्यय से संबन्धित माप पुस्तिका सहित अन्य बांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये । कार्य में व्यय राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	निधि का नाम
1.	मु. पंचायत घर चम्बी	सभा निधि
2.	नि. Wire fencing, धनपाल चम्बी	MP LAD
3.	नि. तारबंदी घूघराड़ वार्ड-1	MP LAD

11 बजट प्रावधान के बिना सभा निधि से ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 में पंचायत की सभा निधि से वाउचर संख्या 32 दिनांक 06.08.16 में पंचायत घर की मुरम्मत हेतु ₹13390 के व्यय किए गए थे लेकिन पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु बजट प्रावधान नहीं किया गया था , जिसके अभाव में उक्त व्यय अनियमित थे । अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उक्त कार्य में किए गए कुल व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में व्यय बजट के अनुसार ही करना सुनिश्चित किया जाये ।

12 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक , सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अधिशेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये ।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर ।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. मनरेगा का सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. वहीखाते तैयार न करना ।
7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।
8. मोबाइल टावर फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना ।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :-

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया था परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार

सत्यापित नहीं करवाया गया था । अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें ।

16 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)210/2018 खण्ड–1–5740–5743 दिनांक–06.09.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागाँव जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881